

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (P-305) अलेसे- I/ 443

दिनांक:- 13/09/19

श्री पदम कुमार जैन,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I,
कार्यालय-विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, मालपुरा,
टोंक।

विषय:- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में।

प्रसंग:- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मालपुरा, टोंक का पत्र क्रमांक 2599
दिनांक 05.09.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ आप द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन नियमानुसार निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत नहीं करने तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु कोई कारण वर्णित नहीं होने के कारण आपके आवेदन पर विचार नहीं किया गया है।

अतः यदि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि से तीन माह पूर्व पुनः निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवावे।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (P-305) अलेसे- I/ 443

दिनांक:- 13/09/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मालपुरा, टोंक को उनके पत्र क्रमांक 2599 दिनांक 05.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)